न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

ल संख्या 107/2018

1. श्यामलाल पुत्र श्री मोरपाल
2. प्रेमबाई पुत्री श्री मोरपाल
3. प्रहलादी बैवा श्री मोरपाल

समस्त जाति मीणा निवासी कुस्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति शान्ति उर्फ सन्तोष पत्नी श्यामलाल उर्फ सांवल्या पुत्री रामरतन जाति मीणा निवासी कुस्तला हाल निवासी सोलतपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक।
2. विकास पुत्र श्यामलाल जाति मीणा निवासी कुस्तला हाल निवासी सोलतपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 01/2017 निर्णय दिनांक 27.08.2018)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री भौलाशंकर शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री हरकेश मीणा

निर्णय दिनांक 05.03.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 01/2017 निर्णय दिनांक 27.08.2018 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख.नं. 2347, 2366, 2370, 2373, 2384, 2391, 2403 कुल किता 07 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम कुस्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर में हम प्रार्थीगण/रेस्पो0 के दादा मोरपाल मीणा के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात रही है उनकी मृत्यु के उपरान्त दादी प्रहलादी बेवा मोरपाल व हमारे पिता श्यामलाल पुत्र मोरपाल एवं हमारी बुआजी प्रेमबाई पुत्री मोरपाल के नाम यह भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी है। यह भूमि पुश्तैनी आराजीयात है जिसका निरन्तर काश्त कर लगान सरकारी अदा करते हुये हमारे पूर्वज आ रहे है। उक्त आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गण/रेस्पो0 का पुश्तैनी आराजीयात होने के कारण बराबर–बराबर का हिस्सा हैं। र्थीगण/अपीलांट संख्या 01 का विवाह आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व प्रार्थी/रेस्पो0 या 01 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ। अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 संसर्ग से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 02 पैदा हुआ कुछ समय बाद दोनो के बीच अनबन हो गयी र प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 को घर से निकाल दिया, तब से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 प्रार्थी/रेस्पो0 सं0 02 का पालन पोषण करके बडा किया तथा आज उक्त आराजीयात में र्थी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 का बराबर का हिस्सा अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 की पुश्तैनी राजीयात में बखूबी साबित है क्योंकि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 अप्रार्थी/अपीलांट ख्या 01 के आश्रितों की श्रेणी में आते है। अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपनी पूर्व की नी वादी/रेस्पो0 संख्या 01 व पुत्र प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 02 को छोडकर सीता मीना के थ नाता विवाह कर लिया गया जो वर्तमान में अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 के पास गॉव में ह रही है जिससे भी अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 के पुत्र व पुत्रीयॉं पैदा हुई है। प्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 लगायत 03 के दिमाग में बदयान्ती आ गयी और प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 व 02 को अपनी पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल एवं बहिस्सा रखने के लिये पुश्तैनी आराजीयात को जान बूझकर अन्यत्र व्यक्तियों को विक्रय की जा रही है। अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 ने पूर्व में दिनांक 04.12.2016 को जरिये दानपत्र उक्त पुश्तैनी आराजीयात खंनं. 141 रकबा 1.0400 हैक्टेयर को सीतादेवी व उसके पुत्र आशुतोष के नाम कर दिया है। अप्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 01, 02 व 03 प्रार्थी/रेस्पो0 को पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल करने के लिये व बहिस्सा करने के लिये आमादा है तथा बची हुई शेष पुश्तैनी कृषि भूमि व सम्पत्ति को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी/अपी0 अपने नाम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का गलत फायदा उठाने पर आमादा है एवं अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 को यह अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थीगण/अपी0 संख्या 01 लगायत 03 के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करावें तथा किसी भी तरह से दीगर व्यक्तियों को विवादित भूमि हस्तान्तरण नहीं करावें। प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय का बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी। प्रार्थीगण ... प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थीगण/अपीलांट के विरूद्ध ... व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा अपील ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.08.2018 खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश देने से पूर्व पत्रावली का विधिपूर्वक अवलोकन नहीं किया है एवं विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के इस सिद्वांत पर गौर नहीं किया है कि राजस्थान टीनैन्सी एक्ट में पिता के जीवनकाल में पुत्र या पत्नी को टीनैन्सी राइट क्रियेट नहीं होते है, न ही पिता के जीवनकाल में पत्नी व पुत्र रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज हो सकते हैं, ऐसी सूरत में जब रेस्पों० दावा लाने का अधिकार ही नहीं रखते है तो अपीलांट को किसी भी तरीके से पांबद किया जाना न्यायोचित नहीं है। रेस्पो० का अधिनस्थ न्यायालय में सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा है जो सिर्फ एक रिकॉर्डेड खातेदार टीनैन्ट ही ला सकता है। रेस्पो० रिकॉर्ड में खातेदार टीनैन्ट दर्ज नहीं है। ऐसी सूरत में उन्हें यह दावा लाने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं हैं जब रेस्पो० दावा ही नहीं ला सकते तो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर रेस्पो० के पक्ष में किसी भी तरह का कोई आदेश दिया जाना कानूनी विरूद्व है। रेस्पो० संख्या 01 अपने आप को अपीलांट संख्या 01 की पत्नी बताती है। पक्षकारान जाति से मीणा है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता, ऐसी सूरत में रेस्पो० नं. 01 व अपीलांट नं. 02 व 03 को किसी भी तरह का कोई अधिकार विवादित आराजीयात में उत्पन्न नहीं होते है। जब रेस्पो० संख्या 01 को कोई अधिकार ही उत्पन्न नहीं होते तो उसके पक्ष में दिया गया आदेश कानूनन विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय में उद्वघोषणा का कोई दावा ही नहीं था एवं अपीलांट का ही विवादित आराजीयात पर कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय का फैसला कानून विरूद्व करार पाता है क्योंकि कब्जे के अभाव में किसी भी तरह की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का रेस्पो० को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे।

4. विद्वान रेस्पो० के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए, अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी ख.नं. 2347, 2366, 2370, 2373, 2384, 2391, 2403 कुल किता 07 कुल रकबा 1.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम कुस्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर में हम रेस्पो० के दादा मोरपाल मीना के कब्जे काश्त ... की आराजीयात रही है। उनकी मृत्यु के उपरान्त हमारी दादी ... श्यामलाल पुत्र मोरपाल एवं हमारी बुआजी प्रेमबाई पुत्री मोरपाल के नाम भूमि रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी हैं। यह भूमि हमारी पुश्तैनी आराजीयात है जिसकी ... काश्त कर लगान सरकारी अदा करते हुये हमारे पूर्वज आ रहे है। उक्त आराजीयात पर हम रेस्पो० का पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जीयात होने के कारण बराबर–बराबर का हिस्सा हैं। अपीलांट संख्या 01 का विवाह आज करीब 15–20 वर्ष पूर्व रेस्पो0 संख्या 01 के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न ा। अपीलांट संख्या 01 के संसर्ग से रेस्पो0 संख्या 02 पैदा हुआ, कुछ समय बाद दोनो के ब अनबन हो गयी और रेस्पो0 संख्या 01 व 02 को घर से निकाल दिया, तब से रेस्पो0 ख्या 01 ने रेस्पो0 सं0 02 का पालन पोषण करके बडा किया तथा आज उक्त आराजीयात रेस्पो0 संख्या 01 व 02 का बराबर का हिस्सा अपीलांट संख्या 01 की पुश्तैनी आराजीयात बखूबी साबित है, क्योंकि रेस्पो0 संख्या 01 व 02 अपीलांट संख्या 01 के आश्रितों की श्रेणी आते है। अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपनी पूर्व की पत्नी रेस्पो0 संख्या 01 व पुत्र रेस्पो0 ख्या 02 को छोडकर सीता मीना के साथ नाता विवाह कर लिया जो वर्तमान में अपीलांट संख्या 01 के पास गॉव में रह रही है, जिससे भी अपीलांट संख्या 01 के पुत्र व पुत्रीयॉ पैदा हुई है। अपीलांट संख्या 01 लगायत 03 के दिमाग में बदयान्ती आ गयी और रेस्पो0 संख्या 01 व 02 को अपनी पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल एवं बहिस्सा रखने के लिये पुश्तैनी आराजीयात को जान बूझकर अन्यत्र व्यक्तियों को विक्रय की जा रही है। अपीलांट संख्या 01 ने पूर्व में दिनांक 04.12.2016 को जरिये दानपत्र उक्त पुश्तैनी आराजीयात खंनं. 141 रकबा 1. 0400 हैक्टेयर को रखेल सीतादेवी व उसके पुत्र आशुतोष के नाम कर दिया है। अपीलांट संख्या 01, 02 व 03 रेस्पो0 को पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल करने के लिये व बहिस्सा करने के लिये आमादा है तथा बची हुई शेष पुश्तैनी कृषि भूमि व सम्पत्ति को विक्रय करने पर आमादा है। अपी0 अपने नाम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का गलत फायदा उठाने पर आमादा है एवं अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। रेस्पो0 को यह अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजीयात में अपी0 संख्या 01 लगायत 03 के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करावें तथा किसी भी तरह से दीगर व्यक्तियों को विवादित भूमि हस्तान्तरण नहीं करावें। प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय का बिन्दु रेस्पो0 के पक्ष में बखूबी साबित है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6. प्रकरण में परीक्षण पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के मद संख्या 02 में कथन किया है कि श्रीमती प्रार्थी संख्या 01 के पुत्र व पत्नी नहीं है व अप्रार्थी नं0 03 के पुत्र व वह नहीं है जबकि अपील मीमो के मद संख्या 2 'सी' में कथन किया है कि राजस्थान में पिता के जीवन काल में पुत्र या पत्नी को टीनेन्सी राइट क्रियेट नहीं होते है ना ही पिता के जीवन काल में पत्नी व पुत्र रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दार दर्ज हो सकते है। उक्त दोनो कथन में विरोधाभास है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ने निर्णय में प्रार्थीया/रेस्पो0 01 को अप्रार्थी सं0 01 की पत्नी माना है, स्वाभाविक तौर पर र्थी सं0 02 अपीलार्थी सं0 01 का पुत्र होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण के विवादित राजी में प्रथम दृष्टया हित निहित है। अन्य सभी उठाये गये बिन्दु वाद में गुणावगुण के धार पर तय होगे परन्तु जब तक अपी0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना यहित में उचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला लेक्टर, सवाई माधोपुर के मु0नं0 01/2017 निर्णय दिनांक 27.08.2018 को यथावत रखा ाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner